

वीडियो कान्फ्रेंसिंग

प्रेषक,

आलोक कुमार,

प्रमुख सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन।

2. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।

3. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।

कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग

लखनऊ दिनांक:- 08 अगस्त, 2025

विषय:-मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में प्रत्येक बुधवार को अपरान्ह 04:00 से 05:00 बजे तक शासन के प्राथमिकता कार्यक्रमों की समीक्षा के संबंध में वीडियो कान्फ्रेंसिंग का आयोजन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के शासनादेश संख्या:- 1/160662/2022/31-1010(099)/1/2021, दिनांक 28 अप्रैल, 2022 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में प्रत्येक बुधवार को अपरान्ह 04:00 से 05:00 बजे तक लोक भवन स्थित सभाकक्ष से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से शासन के प्राथमिकता कार्यक्रमों की समीक्षा निम्नानुसार की जाएगी:-

- विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए एजेण्डा बिन्दुओं पर समीक्षा की जाएगी। विभाग अपनी योजना/योजनाओं की समीक्षा कराना चाहते हैं, तो इस संबंध में विभाग द्वारा अपनी योजना/योजनाओं का नाम वीडियो कान्फ्रेंसिंग के पूर्व दिन सोमवार को कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के ई-मेल आईडी 0 kkvuplko@gmail.com पर प्रेषित करेंगे, ताकि सभी जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों एवं संबंधित विभागों को एजेण्डा बिन्दुओं से अवगत कराया जा सके।
- प्रत्येक बुधवार को आयोजित वीडियो कान्फ्रेंसिंग में अधिकतम 05 विभागों के एजेण्डा बिन्दुओं पर ही समीक्षा की जाएगी। यदि समीक्षा हेतु 05 विभागों से अधिक विभागों के एजेण्डा बिन्दु कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग को प्राप्त होते हैं, तो अवशेष विभागों के एजेण्डा बिन्दुओं पर समीक्षा आगामी वीडियो कान्फ्रेंसिंग में की जाएगी।
- यदि किसी एजेण्डा बिन्दु में एक से अधिक विभाग सम्मिलित हैं, तो नोडल विभाग अपने स्तर से अन्य विभागों को सूचित करेंगे।
- 04-05 विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा अपने विभाग से

सम्बन्धित प्राथमिकता कार्यक्रमों के एजेण्डा बिन्दुओं पर प्रस्तुतीकरण किया जाएगा।

- प्रत्येक विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव को प्रस्तुतीकरण हेतु अधिकतम 10-10 मिनट का समय दिया जाएगा। पी0पी0टी0 में 5-7 स्लाइड्स होंगी, जिसमें गत माह के सापेक्ष प्रगति, 05 अच्छे कार्य करने वाले जनपदों एवं 5 असंतोषजनक कार्य करने वाले जनपदों का उल्लेख हो। एक स्लाइड में सामान्य निर्देश होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य स्लाइड्स में फोटो/वीडियो भी प्रदर्शित किए जा सकते हैं।
 - विभाग द्वारा तैयार की गई पी0पी0टी0 को आगामी बैठक के पूर्व कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के ई-मेल kkvuplko@gmail.com पर प्रेषित किया जाएगा।
 - सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारियों के साथ प्रत्येक बुधवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की जाएगी। अतः अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव से अपेक्षा है कि सामान्य तौर पर मण्डलायुक्त/जिलाधिकारियों के साथ पृथक से वीडियो कान्फ्रेंसिंग नहीं की जानी चाहिए।
 - मुख्य सचिव महोदय द्वारा एजेण्डा बिन्दु/बिन्दुओं पर की गई प्रगति के संबंध में दिशा-निर्देश दिए जाएंगे।
- 2- उपर्युक्त वीडियो कान्फ्रेंसिंग के सम्बन्ध में समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारियों को निम्न निर्देश दिए जाते हैं:-

- वीडियो कान्फ्रेंसिंग में प्रत्येक जिलाधिकारी प्रतिभाग करेंगे।
- जनपद मुख्यालय पर मण्डलायुक्त की तैनाती की दशा में वीडियो कान्फ्रेंस में मण्डलायुक्त भी प्रतिभाग करेंगे।
- मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी के अतिरिक्त मुख्य विकास अधिकारी एवं एजेण्डा बिन्दुओं से संबंधित मण्डल/जनपद स्तरीय अधिकारी वीडियो कान्फ्रेंसिंग में प्रतिभाग करेंगे। मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी यदि आवश्यक समझें, तो अन्य अधिकारी को भी वीडियो कान्फ्रेंस में आमंत्रित कर सकते हैं।
- बुधवार को सार्वजनिक अवकाश की स्थिति में अगले कार्यदिवस में निर्धारित समय अपरान्ह 4:00 से 5:00 बजे तक वीडियो कान्फ्रेंसिंग की जाएगी।

कृपया प्रत्येक बुधवार को अपरान्ह 04:00 बजे से आयोजित वीडियो कान्फ्रेंसिंग में पूर्ण तैयारी के साथ यथासमय स्वयं प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally signed by

AJAY KUMAR

Date: 07-08-2025

प्रमुख सचिव

19:43:47

संख्या/तरिनांक।

पतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, 30प्र0।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, 30प्र0 शासन।
3. व्यवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, 30प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, 30प्र0 शासन।
5. प्रमुख स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, 30प्र0 शासन।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, 30प्र0 शासन।
7. उप महानिदेशक एवं राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, योजना भवन लखनऊ।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
Digitally signed by
JHINNU LAL YADAV
Date: 08-08-2025
09:24:55
संयुक्त सचिव।